फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

रंगलाल बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–दावा मु0नं0– 13/2021

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.11.2025	पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस वादपत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया है कि खसरा नम्बर 203 रकबा 1.6700 है0 वाके रामा झींझण तह0 सिकराय में स्थित है, जिसकी खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि वादीगण के पूर्वज अर्जुन की संयुक्त खातेदारी की भूमि रही है। खसरा नम्बर 203 के साबिक खसरा नम्बर 133/6 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा रहे है। साबिक खसरा नम्बर 297 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा पर सीया पुत्र रामरतन तथा साबिक खसरा नम्बर 293 रकबा 2 बीधा 12 बिस्वा पर प्रतिवादीगण के पूर्वज सूवा पुत्र मूल्या का सिवायचक भूमि पर बतौर उपकृषक कब्जा काश्त चला आ रहा था इसलिए उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खसरा नम्बर 297 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा सीया पुत्र रामरतन के हक में तथा खसरा नम्बर 293 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि सूवा पुत्र मूल्या के हक में राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने खातेदारी दर्ज कर दी तथा राजस्व नक्शाशीट संवत 2006 में साबिक खसरा नम्बर 293 एवं 297 की तरमीम भी हो गई थी। उक्त भूमि साबिक खसरा नंबर 293 एवं 297 की भूमि संवत 2017 में चकबंदी के दौरान सैटलमेण्ट विभाग ने उक्त दोनों खसरा नंबर को खसरा नंबर 133 में शामिल करते हुये खसरा नंबर 297 के खसरा नंबर 133/6 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा भूमि की खातेदारी सीया पुत्र रामरतन के नाम अंकन कर दिया जबकि खातेदार का संवत 2006 के नक्शे अनुसार हुई तरमीम के अनुसार दोनो ही नंबर की तरमीम अलग अलग है। तत्कालीन खातेदार सीया पुत्र रामरतन ने अपनी कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 133/6 का विक्रय वादी 1 एवं 2 के पिता तथा 3 के पति के हक में संपूर्ण रकबे का जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दिया उसी अनुसार वादीगण आज दिन तक काबिज काश्त चले आ रहे हैं। संवत 2006 के राजस्व नक्शे में दर्शित आराजी साबिक खसरा नंबर 293 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि को सैटलमेण्ट विभाग के द्वारा संवत 2017 में शामिल कर दिया तथा जिसके हाल खसरा नंबर 204 जो कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवादीगण की खातेदारी है पर प्रतिवादीगण तब से लेकर आज दिन तक काबिज काश्त चले आ रहे है। हाल ही में हुए सैटलमेण्ट के दौराने राजस्व नक्शाशीट संवत 2067 में वादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 203 की तरमीम प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नम्बर 204 के स्थान पर कर दी जबकि मौके पर वर्तमान राजस्व नक्शाशीट खसरा नम्बर	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

204 पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। इसलिए दावा वादीगण स्वीकार कर इस आशय की डिक्री उदघोषणा फरमाई जावे कि वादपत्र में वर्णित वाके रामा झींझण तह० सिकराय जिला दौसा में हाल ही में सैटलमेण्ट विभाग द्वारा वर्तमान राजस्व नक्शाशीट में वादीगण के काबिज स्थान पर प्रतिवादीगण के हाल खसरा नंबर 204 की की गई तरमीम को निरस्त की जावे तथा पुनः वर्तमान राजस्व नक्शाशीट संवत 2006 के राजस्व नक्शे में दर्शित खसरा नंबर 297 एवं 293 की तरमीम के अनुसार एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कब्जानुसार तरमीम के आदेश दिया जावे।

बहस वादी अधिवक्ता का मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदीयात एवं संलग्न राजस्व नक्शाशीट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सिकराय द्वारा पेश जवाब स्टेट एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सिकराय द्वारा पेश रिपोर्ट के मौका पर्चा में यह अंकित किया गया है कि वर्तमन नक्शाशीट में खसरा नम्बर 204 गलत दर्ज है एवं इस स्थान पर खसरा नम्बर 203 होना चाहिए क्योंकि खसरा नम्बर 203 के काश्तकार उक्त भूमि को खरीदने के उपरान्त वर्तमान खसरा नंबर 204 पर काबिज काश्त है। खसरा नंबर 133/6 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा से वर्तमान खसरा नंबर 203 रकबा 1.67 है० बना है जिसकी स्थिति मौके पर खसरा नम्बर 204 के स्थान पर होना चाहिए। उक्त से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि की तरमीम सैटलमेण्ट द्वारा मौका अनुसार नहीं की गई है तथा उक्त भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 203 एवं 204 साबिक खसरा नम्बर 133 से कायम किए गए है इसलिए सैटलमेण्ट को तरमीम करते समय मौका कब्जानुसार तरमीम करनी चाहिए थी लेकिन सैटलमेण्ट द्वारा मौका अनुसार नहीं तरमीम नहीं की गई है। इसलिए दावा वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण स्वीकार कर विवादित भूमि की तरमीम संवत 2006 के राजस्व नक्शे में दर्शित खसरा संख्या 297 एवं 293 के अनुसार एवं मुताबिक मौका कब्जानुसार किए जाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार तरमीम किया जाना सुनिश्चित करें। पालना तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा